हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 नवम्बर, 2008

संख्या का0आ0 112/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2008. — हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 5/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2008, दिनांक 12 सितम्बर, 2008, के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में, –

(i) अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे,

(क) क्रम संख्या 41 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
"41–क	सैनिटरी नेपकिन्स तथा बेबी डाईपर्स ";

(ख) क्रम संख्या 50 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
"50–क	बैटरी चलित, इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रॉनिक खिलौनों को छोड़कर अन्य खिलौने ";

(ii) अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे,

(क) क्रम संख्या 21क तथा उसके सामने प्रविष्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियॉं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
“21–क	कोम्पैक्ट फलोरोसैन्ट, टयूब्स तथा बल्बस तथा टी–5, 28 वाटज, ऐनिरजी ऐफिसैन्ट, इलैक्ट्रोनिक बालास्ट युक्त इलैक्ट्रोनिक ट्यूब लाईट्स की चोक”;

(ख) क्रम संख्या 92क तथा उसके सामने प्रविष्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टयां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
“92–क	इलैक्ट्रोनिक खिलौनों को छोड़कर बैटरी चलित तथा इलैक्ट्रिक खिलौनें ”।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।